माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, श्री नीतीश कुमार के द्वारा दिनांक– 1/06/2015 को दिये गये भाषण का ट्रांसक्रिप्सन

पार्टी का कार्यक्रम चलता है और जदयू भी अपने कार्यक्रम को तय कर रही है। जनता दल होगा। मोटे तौर पर। सभी तय कार्यक्रम 1 मार्च के बाद। सब स्थगित था। अब तीन महीना के बाद फिर पार्टी ने अपने कार्यक्रम को चलाते रहने का निर्णय लिया है। सभी पार्टियो की सक्रियता है। वैसी स्थिति में सब पार्टी अपना काम करती है। और इससे आगे कुछ नहीं। जहाँ तक उसके पहले जितना प्रश्न आप सब ने पूछा उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इससे पहले हम बहुत कुछ कर चुके हैं। उस पर कौन सी नयी बात कहे। उसे देखते रहिये। बस देखते रहिये हम तो दोहा सुना चूके हैं। अब सवाल है कि बेमौसम जितना, पानी जितना, घड़ा पानी, सिंचते रहिये क्या फर्क पड़ता है? सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं। तो दिक्कत क्या है? कोई जरूरी है उसमें बोलने का। कॉग्रेस के साथ, अभी अच्छा संबंध। टूटा तभी से, वो अपना सर्मथन दे रही है जनता दल (यू) के सरकार को। और अभी जो लोक सभा चुनाव के बाद उप–चुनाव लड़े। लेकिन इस बीच में जो जनता परिवार के विलय की बात हुई है वो अभी बाकी लोगों के साथ जो चुनाव में ताल मेल होना होगा, निश्चित रूप से तालमेल होगा। इसमें कोई किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। पहले पार्ट में तो हम कुछ कहेगे ही नहीं, आपका सवाल तो काँग्रेस पार्टी के तरफ से है। वो तो अलग बात चल रही है। उसपर तो हमने बता ही दिया है, कि बेमौसम कितना ही पानी सिंचते रहिये, क्या फर्क पड़ता है? अरे जो भी होना है। उपयुक्त समय पर सारी बातें स्पष्ट हो जायेगी। पहले से ही इतनी बातें कही जा रही है कि सभी के लिए कहना उचित नहीं है। और मैंने शुरू से ही इसके लिये प्रयास किया है। इसलिए मैं बीच में कोई बात नहीं कहूँगा। बीच में बोलने से कोई स्थिति बनती नहीं है। उससे क्या फायदा, जो भी होगा, अभी वक्त है। कोई परिस्थति आयेगी, कोई परिस्थिति उत्पन्न होगी तब उसके बारे में सोचा जायेगा। अभी कोई खास परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी तरफ से कोई आखरी शब्द नहीं हुई है। और सब तरफ से कोशिश जारी है। और कोशिशों के नतीजे आने तक सब का बोलना उचित नहीं है। ये सब बातचीत इस संदर्भ में हो रही है। बाकी की स्वतंत्रता है। जिनको जितना बोलना है बोलते रहतें है। कोई जरूरी है कि हर बात बोला ही जाय। इसकी खबर तो हमारे पास नहीं है। क्यों आपकी तरफ से क्या है? अभी तक कुछ खास नहीं है। इसलिए बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। मेरे लिये ये आवश्यक नहीं है कि बोली पर react करूँ। एक और बोलने वालों में मैं शामिल नहीं होना चाहता हूँ। भाई कान इधर से छू लिया या उधर से छू लिया, बात बराबर है। आप क्या मानेगे? ये कोई मेरे कहने में थोड़े ही मानेंगे। मेरे कहने से तो नहीं मानेंगे। अपने ही विचार से मानेंगे। पर जहाँ तक सवाल है उस पर मेरा कहना कुछ, उचित नही है। हम तो बता ही दिये कि इसके बारे में कुछ बोलना ही उचित नहीं है। कुछ भी बोलना है तो बोलना है। जब नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। ये तो आप कह रहे है। पूछियेगा तो फिर, ये तो आपका सोच है एक वर्ष से। हम

तो कुछ भी बोलेगें तो उसका कोई न कोई मतलब तो निकालियेगा। इसलिये तो हम बोल ही नहीं रहे हैं कि जो भी प्रश्न निकालियेगा तो जबर्दस्ती का होगा। ये तो आपका Television Byte जैसा है। आपका हो गया तो अपनी तरफ से ये। अभी भारतीय जतना पार्टी ने चुनाव अभियान के दौरान One Rank One Pension की बात बहुत जोर शोर से कही थी। हालाँकि UPA सरकार ने One Rank One Pension की घोषणा कर दी थी। उसका निर्णय ले लिया था। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में जबर्दस्त प्रचार किया है। जब उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में गये थे, हरियाणा में, और सारी बात हुई। एक साल बीत गया पर आज तक one rank one pension लागू नहीं हुआ। कोई न कोई बहाने बनाते हैं। पाँच साल में एक साल का बीतना यानि बीस प्रतिशत कार्यावधि से ज्यादा समय बीत चुकी है। अगले 6 महीना तो फिर चुनाव का होता है। यानि कि साढ़े चार साल काम का होता है। उसमें भी एक साल बीत गया। अभी भी पूर्व सैनिकों को ढ़ाढस दिलाया जा रहा है कि इंतजार किजिये। आखिर इतने जोर शोर से जो प्रचार कर रहे थे, उसका क्या मतलब है? और बार बार किसी विषय पर कहना कि हमने सोचा नहीं था कि इतना सरल है, ये complicated है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि चुनाव के समय सिर्फ काले धन का नहीं, लगभग सारे घोषणाओं के बारे में सोचा नहीं गया। यू ही लोगों का वोट हासिल करने के लिए, यू ही लोगो को खुश करने के लिए सारी बातें कही गयी, उसी का नतीजा है कि न तो आज तक काला धन आया। जिस प्रकार से किसानों के लिए कहा गया था, कि भारतीय जनता पार्टी कि सरकार बनेगी तो किसानों के लागत के उपर 50 का मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जायेगी। वैसा कुछ हुआ नहीं। उल्टे केन्द्र सरकार के द्वारा दलील दी जा रही है कि ऐसा करना संभव नहीं है। चाहे one rank one pension का मामला हो, काले धन का मामला हो। जो काला धन आयेगा वो लोगो के बीच में 15 से 20 लाख रूपया पर गरीब को बाटने का मामला हो। यानि कि हर क्षेत्र एक जुमला साबित हो गया। और यू खुलेआम बोलना तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि साल भी बीतने के बाबजूद भी हमारे पूर्व सैनिकों को उनका न्यायोचित अधिकार नहीं मिला। यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और मैं तो कहूगा कि जिस प्रकार से पूर्व सैनिकों को One Rank One Pension उसी प्रकार से Para Military Force में काम करने वालो का भी क्योकि उनका काम भी बहुत Difficult होता है। उनको भी One Rank One Pension मिलना चाहिए। एक स्तर पर मिलना चाहिए। एक सेवा अवधि तक काम करने वालो को, एक rank पर काम करने वालो को, चाहे Retirement की तिथि कुछ भी हो एक ही राशि pension के तौर पर मिलना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी मिले और इनलोगो को भी मिले। भूतपूर्व सैनिकों को जब मिलने में इतना विलंब हो रहा है तो पता चला है कि उसको भी सीमित करने के बारे में कुछ कोशिश चल रही है। तो यह नहीं होना चाहिए। यह एक बात कि इसपर प्रमुखता से चर्चा करना चाहिए और कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'मन की बात' में इसका उल्लेख की है।

तो इतना समय बीतने के बाद भी लागू न होना, यह कैसी efficiency है। एक वर्ष, पूरा एक साल बीतने के बाद भी न होना, क्या मतलब है इसका। मतलब है कि उसके प्रति वो Commitment नहीं है। जो बाकी रह गया चुनाव में, और हमलोग तो चाहते है, ये सिद्धांत Para military के लिए हो क्योंकि उनका भी बहुत Difficult Job होता है। कई Para Military forces तो सीमा पर तैनात होते है। तो उनको भी मिलना चाहिये। और इस प्रकार से Ordinance लाया गया, भूमि अधिग्रहण ordinance। वो ये बात को दर्शाता है कि सरकार इस पर चिंतित नहीं है। ये इतना बड़ा विरोध हो रहा है, चारों तरफ। लोगो के सहमति के बगैर जमीन लिया जाय। और वो राज्य सभा से पारित नहीं हो सकता था तो उसके लिए एक कमेटि बना दी गयी। तब फिर ordinance लागू करना। ये इंतजार नहीं कर सकते थे? तो ये दिखलाता है कि अपने जिद पर अड़े हैं। किसानों के हित की चिंता नहीं है। और कहा जाता है कि जीवन मरण का प्रश्न है। हाँ जिसके पास किसानों के पास, जमीन है अब मरण का प्रश्न है। लेकिन किसानों के लिये तो यह प्रश्न उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं हो पाएगा जरूर होना चाहिये। जरूर होना चाहिये। जिस ढंग से इन्होने सब्जबाग दिखाया चुनाव के समय में आज उनको पूरा क्यों नही करेंगे? उनको जरूर पूरा करना चाहिये। मिलना चाहिए उनको भी। उनका हक मिलना चाहिये। एक साल में ही उनको मिले फिर जो भी है, Para Military उनको भी मिले। ये तो न्याय संगत बात है। भाई न्याय कोई अभी करे। कोई एक ही पद से रिटायर कर रहा है, और समान सेवा अवधि और उसके बाद pension की रकम अलग अलग मिले। आखिरकार कोई अलग अलग समय में रिटायर होने वाले लोगों को बाजार में सामान अलग अलग रेट पर तो मिलता है नहीं। चाहे खाने पीने का सामान हो या उनके लिये जरूरी सामान हो, वो अलग अलग दर पर तो होता नहीं है। बल्कि जो पहले रिटायर किये है उनके लिये तो और भी आवश्यक है। उनके लिये तो और आवश्यक है। उनकी आयु बढ़ रही है। उनका इलाज पर अधिक खर्च होते है। चिकित्सा पर। बाकी चीजों पर। इसलिये तो ये न्याय संगत बातें है। और जिस अंदाज में बातें कही जा रही थी। उस अंदाज में defend होना चाहिये। आखिकार एक साल में किसी चीज को implement नहीं कर पाये। कैसे ये दावा करते है कि efficient सरकार है। ये या तो inefficiency को दर्शा रहा है या उनकी commitment की कमी को दर्शा रहा है। वर्ना एक वर्ष कैसे लगेगा। इस बीच में दो दो बार बजट ले आये। तो ये लोगो को भरोसा नहीं कर पाये। अब बिहार में देखिये। सब मैदान में कूद रहे है। और तरह तरह के statement दे रहे हैं। ये जनता देख रही है कि जितनी बातें कही गयी है उन बातों पर अमल नहीं हो पा रहा है। आप भावना के साथ खिलवाड़ किये है। जो भाई सीमाओं की रक्षा करते हैं, देश के लिये जान देते है। और उसके लिये कोई वचन दिया गया, उसको निभाने में इतना समय? ये commitment की कमी को दर्शाता है और सरकार की Inefficiency को दर्शाता है। हमने तो कुछ कहा ही नहीं। इसलिये हमसे byte लेते। हमारा कोई application pending है ही नहीं। मेरा कोई

application pending नहीं है। तो सोचिये application ही pending नही है तो discussion किस बात की। आपको इस बात पर क्या ऐतराज है। हम कुछ बोलते तब न। हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जहाँ तक बिहार का सवाल है। एक घंटा के अंदर हमलोगों ने वहाँ DM, SSP को तत्काल भेजा और रिपोर्ट ली। सबसे पहले रिपोर्ट हमलोगो को मिली JDU और RJD की Joint Committee की, हमलोगो ने वहाँ सरकार की टीम भेजी, और वो रिपोर्ट लाये और रिपोर्ट से पता चला कि वो Haste में ये कदम उठाया। हमलोगो ने तत्काल इसके लिये Policy बनाया और एक Scheme बनाया। उसको 1 April 2015 से लागू किया। इस Scheme के Detail को हम पहले बता चुके हैं। पिछली बार जब आप यहाँ थे। Press को बता चुके हैं। हमलोगो की संवेदनशीलता इस संबंध में और इसके अलावे पूरे घटना की जाँच, हर पहलू की जाँच और उस पर आवश्यक कारवाई और उसके उपर जाँच परताल करनी पड़ती है। यानि कि पूरे देश में जो Party use less है। यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, नजर अंदाज कर रहे हैं, वो क्या बतायेगें। वहाँ जो किसान, युवा किसान, आत्महत्या कर रहे हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में, इन राज्यों में। वहाँ के बारे में जरा उनसे पुछिये। कौन सी Policy ।वहाँ की सरकार इन मामलों में क्या कर रही है? और बिहार के बारे में जो हमलोग ने किया है सबसे अधिक संवेदना, संवेदनशीलता के साथ हमलोगों ने Scheme बनायी, और उसके हर पहलू को ध्यान में रखा। और यह दुःखद है कि सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। जिस ढंग से केन्द्र की सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ला रही हैं। अध्यादेश पर अध्यादेश बार–बार, और इनको बहुमत मिला लोकसभा में, तब भी ordinance राज्य कायम कर रहे है। और किसके लिये? किसानों की जमीन लेने के लिये, उनके बिना सहमति के। तो यह सब किसानों के Distrust को बढ़ा रहा है। अब इस तरह की घटना घटती है तो केन्द्र सरकार का रवैया उसके लिये जिम्मेवार है। और चुनाव में घोषणा किये कि लागत के उपर 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। और वह नहीं देकर, साल भर बीतने के बाद, बल्कि उससे मुकर जाना यह देश में Farmer के Distrust को बढ़ा रहा है। इसकी पूरे तौर पर जवाबदेही है और हमारे यहाँ जो भी हुआ है। एक एक केस के मामले में, केस टू केस, Basic पर। चूँकि हर दृष्टिकोण से जाँच पड़ताल करके न्यायोचित कारवाई और वहाँ पर उन्हें नयी Policy के तहत सहायता किया गया। इसमें मिलने आये थे और पूरी बातचीत हो गयी है। आप उन्हीं से पूछ लिजिये, जो हमसे मिलने आये थे। वह आपके प्रश्न का उत्तर अच्छे से देंगे। मुझ से मिले है और पूरी तौर पर जो भी उनकी समस्या थी उनको गौर से सुना है और हमने Chief Secretary और प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार को भी हमने किसानों के साथ बैठक के दौरान बुलाकर चर्चा हुआ है। DM पटना, इसके अलावा उनके एक– एक बिंदू पर ध्यान देकर उसपर स्पष्ट तौर पर Adjust किया है। किसानों के Satifaction के साथ काम किया है। बिहार में इन सब मामलों में जब ये शुरू किये थे जब 240रू0 दे रहे थे, 100 रूपया के जगह पर, उस समय भी यह देश में सर्वाधिक था और इस मामले में किसानों को उचित

मुआवजा मिले और पर्याप्त मुआवजा मिले। इसके लिये हमलोग सचेत है। और किसानों का दिल दुखाकर, उनसे जबर्दस्ती जमीन लेकर, कोई विकास का इमारत नहीं खड़ी की जा सकती है। सब की सहमति से ही विकास हो सकता है और इसलिए इन मामलों में हम लोगों का नजरिया प्रांरभ से ही स्पष्ट है और इसलिए बीच में कोई समस्या आयेगी तो उस समस्या का अध्ययन कर उसका निदान किया जायेगा।